फैक्ट्री एक्ट -1948

Presented by-

Rajendra Kushwaha

Instructor/C&W

MSTC/GKP

1-ऐतिहासिक पृष्ठभूमि-

- देश का पहला कारखाना कानून 1881 में बना था।
- उसके बाद 1911 और 1934 में भी नए कानून बने।
- इन कानूनों में भी कुछ दोष और कमजोरियां पाई गई ।
- तब 1948 में वर्तमान कानून बना जो 01 अप्रैल 1949 से लागू हुआ लागू है ।
- इसमें भी समय-समय पर संशोधन किए गए हैं।

2-उद्देश्य:-

- इस कानून का उद्देश्य कारखाने में काम करने वाले श्रमिकों के बारे में कानून को संगठित करना है।
- यह कानून कारखाने में काम की परिस्थितियों का नियमन करता है ।
- तंदुरुस्ती,संरक्षा। ,काम का समय, कम उम्र के लोगों (बच्चों) की नौकरी,वार्षिक छुट्टी, वेतन और ओवरटाइम जैसी मुख्य बातों के बारे में कानून में व्यवस्था की गई है ।
- सभी कारखानों को लाइसेंस लेना पड़ता है।
- कानून का पालन ना करने पर दंड का प्रावधान है।

3-कारखाना कानून लागू होने की सीमाएं-

- यह कानून उन सभी प्रतिष्ठानों पर लागू होता है जिनमें उत्पादन की प्रक्रिया चल रही हो।
- अगर पावर की सहायता नहीं ली जाती हो तो कम से कम 20 कर्मचारी और अगर पावर की सहायता ली जाती हो तो कम से कम 10 कर्मचारी कार्य करते हो।
- रेलों पर सभी कारखाने इस कानून के अधीन आते हैं।
- लोको शेड एवम् समाडि डिपो में मरम्मत का काम होता है, इसलिए वे इस कानून में के अधीन नहीं आते हैं।
- इसी प्रकार होटल जलपान गृह अथवा खाने का स्थान इस कानून के अधीन नहीं है।

4. कारखाने की स्वीकृति लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन

- जिस स्थान पर कारखाना बनेगा, कारखाने के परिसर का निर्माण, आवश्यकतानुसार उसका विस्तार आदि के लिए अनुमति लेना अनिवार्य है।
- कारखाने का रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस नियमों के अनुसार कराना होता है।

5. श्रमिक-

- श्रमिक का अर्थ है सीधे अथवा किसी एजेंसी या ठेकेदार के माध्यम से प्रधान नियोक्ता की जानकारी में या जानकारी के बिना चाहे पारिश्रमिक अथवा नहीं, किसी निर्माण प्रक्रिया में अथवा संयंत्र के किसी भाग अथवा निर्माण प्रक्रिया के लिए उपयोग में लाए गए परिसर की सफाई करने में नियुक्त व्यक्ति ।
- परंतु इसमें संघ के सशस्त्र बल का कोई सदस्य शामिल नहीं है।
- सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार कारखानों में नियुक्त समय पाल (टाइम कीपर)अब कारखाना कानून के अंतर्गत श्रमिक के रूप में माने जाएंगे।

6. कारखाने का पदाधिकारी-

- कारखाने के पदाधिकारी का अर्थ है वह व्यक्ति जिसका कारखाने के कामकाज पर संपूर्ण नियंत्रण है।
- कारखाना कानून के प्रावधानों के अनुसार,रलवे उत्पादन इकाईयों के मुख्य इंजीनियर को इकाई में पदाधिकारी नियुक्त किया गया है।
- **7.काम का समय-** एक दिन में अधिकतम 9 घंटे की समय सीमा है ।
- 5 घंटे के लगातार काम के बाद कम से कम आधा घंटे का अंतराल होना चाहिए।
- कुल समय पाली के शुरुआत से अंत तक 10.5 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए।
- एक सप्ताह में काम के घंटों की सीमा 48 घंटे हैं।
- 7:00 बजे शाम और 6:00 बजे सुबह के बीच महिला कर्मचारियों के लिए काम पर रोक है ।

8.साप्ताहिक अवकाश-

- सप्ताह में एक दिन का अवकाश(रेस्ट)होना जरूरी है ।
- आमतौर पर रविवार का दिन होना चाहिए।
- किसी को अवकाश के दिन बुलाया जाए तो उसके 3 दिन बाद तथा 30 दिन के अंदर प्रतिपूरक छुट्टी देना जरूरी है ।

9.समयोपरी(ओवरटाइम) भत्ता:-

- दिन में 9 घंटे और सप्ताह में 48 घंटे से अधिक किसी से काम लिया जाए तो उसे मजदूरी की दोगुनी दर से भत्ता दिया जाएगा ।
- इस भत्ते की गणना के दो आधार होते हैं: साप्ताहिक या दैनिक।
- कर्मचारी के लिए जो भी आधार लाभकर हो उसी का प्रयोग किया जाएगा ।
- एक सप्ताह में काम के अधिकतम घंटे (ओवरटाइम) मिलाकर 60 घंटे से अधिक नहीं होंगे और अधिकतम 50 घंटों का ओवरटाइम त्रैमासिक देय होगा ।

10.तंदुरुस्ती-

मैनेजर की जिम्मेदारी होती है कि कारखाने की सफाई आदि की पूरी व्यवस्था करें । कुछ महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार हैं-

1. धूल गंदगी और कूड़ा रोज साफ किए जाएं ।
2. फर्श को हर हफ्ते धोया जाए जिसमें कीटनाशक दवा का इस्तेमाल हो।
3. फर्श पर पानी ना रहे और जरूरत के अनुसार उसकी सफाई होती रहे ।
4. अंदर की दीवारें, रास्ते, सीढियों की पेंटिंग,वार्निश आदि कम से कम 5 साल में एक बार अवश्य हो और 14 महीने में एक बार सफाई पुताई जरूर की जाए।
5. स्वच्छ हवा के लिए खिड़कियों आदि की व्यवस्था हो।तापमान पर नियंत्रण रहे ताकि काम करने के लिए उचित सुविधा रहे हैं ।

- 6.काम की किसी जगह पर भीड़ न रहे, एक कामगार के लिए कानून में दी गई जगह की व्यवस्था हो।
- 7.प्रकाश की उचित व्यवस्था रहे।
- 8.पीने के शुद्ध पानी की प्रभावी व्यवस्था हो ।
- 9.शौचालय और पेशाब घरों की उचित व्यवस्था हो, महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था रहे।
- 10.थूकदान की व्यवस्था हो। कूड़ा करकट गंदा पानी, दुर्गंध पूर्ण और केमिकल्स स्राव आदि के लिए समुचित व्यवस्था करना जरूरी है ।

11.संरक्षा-

- कारखाने में सुरक्षा के बारे में अनेक प्रावधान है।
- ताकि काम करने वालों की समुचित सुरक्षा रहे।
- सभी चलने वाली मशीनें, पहिए, जनरेटर, मोटर, खतरनाक हिस्से आदि फेंस लगाकर सुरक्षित किए जाएं।
- चेन, क्रेन, होएस्ट, लिफ्ट आदि मजबूत और उपयुक्त धातु के बने होने चाहिए तथा उसका निरीक्षण करने की व्यवस्था हो ।

12.दुरुस्ती और संरक्षा के बारे में जानकारी का अधिकार-

- श्रमिकों को यह अधिकार होगा कि वह आकू पायेर से तंदुरुस्ती और और संरक्षा के बारे में जानकारी प्राप्त करें ।
- कारखाने में या चीफ इंस्पेक्टर द्वारा स्वीकृत केंद्रों में तंदुरुस्ती और संरक्षा के बारे में प्रशिक्षण पाने का हक भी है।

13.हित व्यवस्था-

- कपड़े धोने, सुखाने और रखने की सुविधा, बैठने की सुविधा, विश्राम कक्ष, लंच रूम आदि की सुविधा ।
- महिला कर्मचारियों के बच्चों(6वर्ष से कम उम्र) के लिए एक कमरे की व्यवस्था आदि का प्रावधान हो।
- प्राथमिक उपचार की व्यवस्था जरूरी है।
- 500 से अधिक कर्मचारियों के लिए उचित मेडिकल सुविधा होनी चाहिए।

14.कैंटीन-

- यदि 250 से अधिक कर्मचारी हो तो कैंटीन होना जरूरी है।

15.हिताधिकारी(वेलफेयर ऑफिसर)-

- अगर 500 से अधिक कर्मचारी हो तो एक हिताधिकारी की नियुक्ति होनी चाहिए।
- रेलवे कारखाने में कार्मिक अधिकारी ही वित्त अधिकारी होता है।
- बड़े कारखानों में अलग से हिताधिकारी होते हैं।

16.रजिस्टर-

निम्नलिखित रजिस्टर रखना जरूरी है-

- सफाई का रजिस्टर।
- मशीनों आदि की परीक्षा का रजिस्टर।
- होइस्ट और लिफ्ट की परीक्षा का रजिस्टर। बालिग कर्मचारियों का रजिस्टर ।
- ओवरटाइम और हाजिरी रजिस्टर ।
- दुर्घटना और खतरनाक घटनाओं का रजिस्टर। छुट्टियों का रजिस्टर, शिकायत रजिस्टर।

17.नोटिसे-

नीचे लिखी नोटिसे लगाना जरूरी होती है-

- साप्ताहिक छुट्टी ।
- छुट्टी रद्द करने की सूचना ।
- बालीग कर्मचारियों के काम का समय।
- कारखाना कानून और नियमों का संक्षेप। तंदुरुस्ती, संरक्षा और हित की सूचनाएं।

18.निरीक्षण-

- राज्य सरकार द्वारा सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा नियुक्त किया गया निरीक्षक कारखाना परिसरों का निरीक्षण करता है।
- कारखाना के प्रबंधकों द्वारा निरीक्षक को परिसर, मशीनरी, प्लांट, निर्धारित रजिस्टर तथा फैक्ट्री से संबंधित किसी भी दस्तावेज का निरीक्षण करने की सुविधा दी जानी चाहिए ।
- वह किसी भी व्यक्ति का बयान लिपिबद्ध कर सकता है।
- प्रबंधकों को निरीक्षक द्वारा विभिन्न विषयों पर अपनी निरीक्षण रिपोर्ट में दी गई टिप्पणियों पर ध्यान देना चाहिए ।

19.दंड-

- कानून में कर्मचारियों और प्रबंधकों आदि के लिए विभिन्न प्रावधानों का पालन न करने पर या उन्हें तोड़ने पर अलग-अलग दंड की व्यवस्था है ।
- 2 या 3 साल तक के कारावास और तीन लाख के जुर्माने तक या दोनों हो सकता है ।

Any Question?

THANKYOU